Mahendra Mandal parttime Lecturer	R.M.M Law college-saharsa (P-1)	Date 14.05.2020

अभिवचन के नियम (Rules of pleadings)

अभिवचनों का उद्देश्य पक्षकारों के बीच विवादास्पद बातों को सही तरीकों से अभिनिश्चित कर लेना होता है। उच्चतम न्यायालय ने अनेकों न्याय निर्णय में निर्दिष्ट किया है कि 'अभिवचनों के नियम निष्पक्ष एवं उचित परीक्षण में सहायता प्रदान करते हैं।" विधिकवाद में कम से कम या अनिश्चितता नहीं रहे, इसलिए सम्बन्धित पक्षकार और अधिवक्ताओं को अभिवचनों का प्रारूप बनाने में सी० पी० सी० कुछ नियमों के पालन की अपेक्षा करती है। अभिवचन के इन नियमों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(क) आधारभूत नियम (fundamental rules) (ख) विशेष नियम (particular rules)

आधारभूत नियम (Fundamental rules)—

अभिवचन के आधारभूत नियम सी० पी० सी० के आदेश 6 नियम 2 की अपेक्षाओं से निकलते हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक अभिवचन में तात्विक तथ्यों का कथन किया जाना चाहिए न कि कानून का (Every pleading must state facts and not law)
2. प्रत्येक अभिवचन में सारवान तथ्यों और केवल सारवान तथ्यों का ही कथन किया जाना चाहिए [Every pleading must state all the material facts and material facts only]
3. प्रत्येक अभिवचन में केवल उन तथ्यों का ही कथन किया जाना चाहिए जिसका कि अभिवचन करने वाला पक्षकार आश्रय लेता है, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा उन्हें (तथ्यों को) सिद्ध किया जाता है [Every pleading must state only the facts on which the party, pleading relies and not the evidence by which they are to be proved]
4. प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन संक्षेप में किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा कथन ठीक-ठीक एवं निश्चितता के साथ किया जाना चाहिए (Every pleadings must state the facts concisely, but with precision and certainty)

Scanned with CamScanner

(1) प्रत्येक अभिवचन में तथ्य का कथन किया जाना चाहिए न कि कानून का — अभिवचन के पहले आधारभूत नियम की शब्दावली से स्पष्ट होता है कि इसके दो पहलू हैं - आत्मक तथा नकारात्मक। नियम का आत्मक पहलू यह निर्देशित करता है कि अभिवचनों में केवल तथ्यों का कथन किया जाना चाहिए; जबकि नकारात्मक पहलू यह निर्देश देता है कि अभिवचनों में निम्न बातों का कथन नहीं किया जाना चाहिए -
(i) कानून (ii) कानून का निष्कर्ष (iii) तथ्य एवं कानून के मिश्रित निष्कर्ष
मै० ह्यूग कन्स्ट्रक्शन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिवचनों में केवल तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि तर्कात्मक कथन का।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अभिवचनों में कानून के प्रावधानों या कानून के निष्कर्षों का कथन क्यों नहीं करना चाहिए? इसका साधारण सा उत्तर यह है कि न्यायाधीश स्वयं कानून की न्यायिक अधिसूचना लेने के लिए बाध्य है और यह उसी का कार्य है कि न्यायाधीश स्वयं अभिकथित तथ्यों से वह कानून का सही निष्कर्ष निकाले।

उपरोक्त कथन को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है— अनिता अपने अभिवचन में कथन करती है कि प्रतिवादियों ने घोर असावधानी बरती है, क्योंकि इन्होंने उसे बीयर की ऐसी बोतल दी, जिसमें एक मरे हुए घोंघे के अवशिष्ट वर्तमान थे। यह अभिवचन प्रथम आधारभूत नियम के विरुद्ध होगा। क्योंकि 'असावधानी' का अभिकथन तो कानूनी निष्कर्ष है। इसके विपरीत उसको उन तथ्यों का कथन करना चाहिए था जिनसे यह प्रदर्शित होता कि प्रतिवादियों का वादिनी के प्रति कोई कर्तव्य था और उन्होंने उस कर्तव्य को भंग किया था। इन तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी असावधानी के दोषी थे या नहीं, इस प्रकार का अनुमान या निष्कर्ष निकालना न्यायालय का कार्य है।

Scanned with CamScanner